भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *117

उत्तर देने की तारीख 11.02.2019

**लघु उद्योग**

***117. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः**

**श्री निशिकान्त दुबेः**

**क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं केलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत लघुउद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना लागूकी है, ताकि उनकी विशेषकर देश में गरीबी रेखासे नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं कीसामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जासके;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरउक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और**

**(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्याकदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?**

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**<u>दिनांक 11.02.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>**

(क) और (ख) सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआई) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजित करने के लिए 2008-09 से एक मुख्य ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए 25.00 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के लिए 10.00 लाख रुपए है। **इस स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है तथा वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित परियोजना के लिए क्रमशः 25% और 35% सब्सिडी के पात्र हैं। महिला लाभार्थियों के लिए अपना अंशदान परियोजना लागत का केवल 5% है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10% है।** पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कुल परियोजनाओं में से लगभग 30% परियोजनाएं महिलाओं द्वारा स्थापित की गई हैं। महिलाओं द्वारा स्थापित अब तक परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए सहित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

1) खादी कार्यक्रम : खादी कार्यक्रम के विकास और संवर्धन के लिए केवीआईसी 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) की सहायता से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है। और 2518 खादी संस्था 4.65 लाख व्यक्तियों (संचयी) को रोजगार प्रदान कर रही हैं जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी का हिस्सा अनुबंध-IIमें दिया गया है:

i) बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)

ii)ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक)

iii) आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती जनश्री बीमा योजना)

iv)कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट (एडब्ल्यूएफटी)

v) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

vi) विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता ।

2) ग्रामोद्योग कार्यक्रम: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ सात समूहों में विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

i) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)

ii) वन आधारित उद्योग (एफबीआई)

iii)हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई)

iv) खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)

v)पॉलीमर और कैमिकल आधारित उद्योग (पीसीबीआई)

vi)ग्रामीण इंजीनियरिंग और बायो प्रोद्योगिकि उद्योग (आरईबीटी)

vii) सेवा एवं वस्त्र उद्योग

3) ग्रामीण भारत में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा मिशन सोलर चरखा का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम में केन्द्रित ग्रामों में सोलर चरखा स्थापित करने का प्रावधान हैं जिससे 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के कारीगर सोलर चरखाओं के फैब्रिक के उत्पादन और प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं।

4) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)का उद्देश्य खादी की सतत, कतिनों (स्पिनिरों) एवं बुनकरों के लिए वर्धित आय और रोजगार, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनरूद्धार करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों(i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण(ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा(iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

5) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 से शुरू की गई है। इस स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पादन विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है। स्कीम को 2016-17 के दौरान पुनरूद्धारित स्कीम के रूप में संशोधित किया गया।

6)क्षमता निर्माण (सीबी):- केवीआईसी 40 विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न विषयों नामतः साबुन और डिटरजेंट बनाना, खाद्य मदों, बेकरी उत्पादों, रेडीमेड वस्त्रों, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने, मोटर बाईडिंग इत्यादि में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

7) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि:- शिल्पकारों के उपकरणों और विनिर्माण तकनीकी में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) महत्वपूर्ण इनपुट सामग्री है। केवीआईसी में कारीगरों की आय और उत्पादकता बढ़ाने और उनके कार्यों में नीरसता को कम करके उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कारीगर अनुकूल बनाना जारी रखा है। केवीआईसी की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है जो ग्रामीण उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता और पैकेजिंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 11.02.2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *117 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

**वर्ष 2008-09 से 2018-19 (23.01.2019 तक) प्रारंभ से पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी |
|---|---|---|
| 1 | जम्मू और कश्मीर | 6586 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 2542 |
| 3 | पंजाब | 3182 |
| 4 | चंडीगढ़ | 132 |
| 5 | हरियाणा | 2234 |
| 6 | दिल्ली | 413 |
| 7 | राजस्थान | 3887 |
| 8 | उत्तराखंड | 2767 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 12790 |
| 10 | छत्तीसगढ़ | 3252 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 5280 |
| 12 | सिक्किम | 196 |
| 13 | अरूणाचल प्रदेश | 788 |
| 14 | नागालैंड | 2019 |
| 15 | मणिपुर | 1912 |
| 16 | मिजोरम | 2321 |
| 17 | त्रिपुरा | 2053 |
| 18 | मेघालय | 1269 |
| 19 | असम | 10738 |
| 20 | बिहार | 5264 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 11496 |
| 22 | झारखंड | 2525 |
| 23 | ओडिशा | 6846 |
| 24 | अंडमान निकोबार और द्वीप समूह | 348 |
| 25 | गुजरात | 5941 |
| 26 | महाराष्ट्र | 9685 |
| 27 | गोवा | 326 |
| 28 | आंध्र प्रदेश | 6933 |
| 29 | तेलंगाना | 1342 |
| 30 | कर्नाटक | 5302 |
| 31 | लक्षद्वीप | 45 |
| 32 | केरल | 6066 |
| 33 | तमिलनाडु | 11732 |
| 34 | पुदुचेरी | 304 |
| | कुल | **138516** |

**अनुबंध-II**

**दिनांक 11.02.2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *117 के भाग(ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II**

**वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान वितरित की गई मार्जिन मनी (एमएम) और महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापित परियोजनाओं की संख्या | वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रू. में | स्थापित परियोजनाओं की संख्या | वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रू. में |
| 1 | जम्मू और कश्मीर | 476 | 634.15 | 1188 | 1718.41 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 198 | 422.73 | 303 | 765.23 |
| 3 | पंजाब | 454 | 1316.11 | 580 | 1861.72 |
| 4 | चंडीगढ़ | 14 | 25.07 | 18 | 32.58 |
| 5 | हरियाणा | 283 | 662.57 | 422 | 958.11 |
| 6 | दिल्ली | 40 | 58.51 | 43 | 57.16 |
| 7 | राजस्थान | 314 | 1250.10 | 337 | 1332.04 |
| 8 | उत्तराखंड | 296 | 528.92 | 327 | 676.04 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 1387 | 5030.05 | 1492 | 5417.78 |
| 10 | छत्तीसगढ़ | 319 | 977.37 | 327 | 959.80 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 512 | 2100.23 | 518 | 2645.46 |
| 12 | सिक्किम | 11 | 11.16 | 15 | 19.35 |
| 13 | अरूणाचल प्रदेश | 104 | 138.50 | 86 | 121.22 |
| 14 | नागालैंड | 334 | 626.72 | 427 | 1178.34 |
| 15 | मणिपुर | 223 | 581.75 | 237 | 473.38 |
| 16 | मिजोरम | 128 | 217.30 | 134 | 133.83 |
| 17 | त्रिपुरा | 452 | 734.81 | 261 | 393.52 |
| 18 | मेघालय | 142 | 155.15 | 31 | 56.98 |
| 19 | असम | 1484 | 1015.53 | 581 | 528.41 |
| 20 | बिहार | 915 | 2115.84 | 647 | 1778.56 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 802 | 1535.21 | 406 | 1144.53 |
| 22 | झारखंड | 292 | 494.67 | 215 | 537.20 |
| 23 | ओडिशा | 942 | 2144.02 | 777 | 2095.83 |
| 24 | अंडमान निकोबार और द्वीप समूह | 22 | 15.33 | 38 | 33.02 |
| 25 | गुजरात | 567 | 3905.07 | 1017 | 7785.33 |
| 26 | महाराष्ट्र | 783 | 2233.86 | 1079 | 3153.11 |
| 27 | गोवा | 37 | 95.36 | 19 | 43.08 |
| 28 | आंध्र प्रदेश | 294 | 2631.29 | 719 | 2761.31 |
| 29 | तेलंगाना | 218 | 812.76 | 370 | 1534.84 |
| 30 | कर्नाटक | 816 | 2362.30 | 580 | 1853.93 |
| 31 | केरल | 635 | 1112.50 | 525 | 960.76 |
| 32 | तमिलनाडु | 1248 | 2955.01 | 1929 | 3314.02 |
| 33 | पुदुचेरी | 26 | 49.20 | 21 | 30.98 |
| | **कुल** | **14768** | **38949.15** | **15669** | **46355.86** |